

फर्द अहकाम

मुकेश कुमार बनाम मन्नी वगै०

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल

केस सं० 17425

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	10/11/25	वकील श्री शंकरलाल काजला ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। रिपोर्ट सरिस्ते हो चुकी है। अतः पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 28/11/25 को पेश हो।	
	28/11/25	पत्रावली पेश हुई पक्ष उप को वास्ते तलबी के 3 दिनों 19/12/25 को पेश की गई।	
	19/12/25	पत्रावली पेश श्री पक्ष 0 उप 0 है। प्रति 2 से 6 की अदल तालिम प्राप्त श्री अतः पक्ष के पक्ष पुनः तलबाना सम्पन्न पेश की गई तलबी 2/1/26 को पेश हो।	
	2/1/26	पत्रावली पेश हुई पक्षकगण, पक्षकगण वादी & प्रतिवादी की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित गाँठासीन अधिकारी अन्तः कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश अनुसार आगामी दिनांक 1/1/26 को पेश हो।	
	9/1/26	पत्रावली पेश श्री पक्ष 0 उप 0 है। अतः पत्रावली 0-9, R-3 CPC के प्रावधानों के तहत अदल पेश की, अदल एजिली के खारिज फारमानों जारी की पत्रावली अतः अदल होकर अदल तालिम से दर्ज गणक के अतः है।	